न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–रिछपाल सिह बुरडक आर0ए0एस0
अपील संख्या :–28/2020
अपीलान्टः–

1. मुराद खां पुत्र उम्मेद खां जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा बेरी खुर्द तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

रेस्पोडेन्ट :–

1. राजस्थान सरकार जरिए नायबतहसीलदार मौलासर।
2. हल्का पटवारी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना।

उपस्थित अधिवक्ता :–

श्री शोकत अली खां अधिवक्ता, अपीलान्ट की और से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश एवं निर्णय दिनांक 15.10.2019 न्यायालय उपतहसीलदार मौलासर अन्तर्गत प्रकरण संख्या 14/2019 राजस्थान सरकार बनाम मुराद खां के विरूद्ध

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :–24.08.2021

{1} यह अपील विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के अन्तर्गत उपतहसीलदार मौलासर के प्रकरण संख्या 14/2019 बअनुवान राजस्थान सरकार बनाम मुराद खां निर्णय दिनांक 15.10.2019 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसील मौलासर में पटवारी हल्का बेरी खुर्द द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि ग्राम जतनपुरा के खसरा नम्बर 126 किस्म भूमि गै0मु0गौचर राजकीय भूमि में अपीलार्थी/अप्रार्थी ने 42.18 बीघा भूमि में से रकबा 0.40 हैक्टर भूमि पर पक्के कमरे व फसल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जिस पर दिनांक 15.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखली व जुर्माना से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी यह अपील पेश की है।

{3} अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है कि :–

{3} (1) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2019 अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3} (2) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, तथा निर्णय अधीन अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(3) यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलांट को धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट की कार्यवाही का नाटिस दिनांक 15.10.2019 का दिये जाने के पश्चात अपीलांट स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा उसकी उपस्थिति के आदेशिका पर हस्ताक्षर भी करवाये गये। अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा साक्ष्य सबुत हेतु मौखिक रू॰ से अवसर चाहा गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज करते हुए ''गैरसायल द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया'' लिखते हुए आलौच्य आदेश उसी दिवस पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांट/अप्रार्थी को नही हुई तथा लॉकडाउन हो जाने के पश्चात सम्पूर्ण भारत वर्ष बन्द रहा व हाल ही में दिनांक 02.07.2020 को अपीलांट द्वारा प्रकरण की पत्रावली का पता करने पर उसे पता चला की प्रकरण का निस्तारण दिनांक 15.10.2019 को कर दिया। जिसकी नकल लेने हेतु उसी दिवस 02.07.2020 को आवेदन देकर दिनांक 06.07.2020 को नकले प्राप्त करने पर अपीलांट को प्रथम बार उक्त आदेश की जानकारी हुई। इससे पूर्व अप्रार्थी/अपीलांट को उक्त आदेश के बारे में कभी कोई जानकारी नही थी। इस कारण अपील को अन्दर मयाद हेतु धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

{3}(4) यह है कि अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 125 रकबा 21.08 बीघा वाके जतनपुरा की भूमि के चिपते ही पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 126 रकबा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

42.18 बीघा गै0मु0गौचर भूमि अवस्थित है। उक्त गौचर भूमि के चिपते ही पश्चिम में खसरा नम्बर 163 की गै0मु0आबादी भूमि हैं। जिस पर असंख्य व्यक्तियो के मकान रहवास बने हुए हैं। अपीलांट अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य का खसरा नम्बर 126 पर कभी कोई अतिक्रमण अथवा कब्जा नही हैं। हल्का पटवारी ने पूर्णरूप से झुठी रिपोर्ट बनाकर हस्तगत मामला अपीलांट के विरूद्ध दर्ज करवाया हैं जो निरस्त होने योग्य है।

{3}(5) यह है कि हल्का पटवारी बेरी खुर्द द्वारा मौके पर मोमी नक्शा अनुसार नाप न किया जाकर केवल मात्र खानापूर्ति करने के उद्देश्य से मौका रिपोर्ट नाप तैयार करके धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) यह है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा के खेत खसरा नम्बर 125 की पश्चिमी सींव मोमी नक्शा अनुसार एक दम सीधी ना होकर सींव तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी तिरछी हैं तथा हल्का पटवारीयो की टीम द्वारा मौका निरीक्षण करते समय उत्तर से दक्षिण पश्चिमी सींव को एक दम सीधा दर्शित करते हुए दक्षिणी सींव नक्शा में 70 गट्टा बताते हुए नाप किया जबकि दक्षिण की तरफ पहुंचते पहुचते पश्चिमी सींव तिरछी सदैव रही हैं तथा दक्षिणी हिस्से का नाप 80 गट्टा मोमी नक्शा अनुसार अपीलांट मौके पर काबिज रहा हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड अनुसार ना ली जाकर विधि विरूद्ध आलौच्य आदेश पारित किया हैं जो अपास्त किये जाने योग्य है।

{4 } उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 22.07.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 27.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2020/349 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

15.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, पटवारी रिपोर्ट व नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

{5} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबधं में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.10.2019 को हुआ है जिसकी अपील अपीलान्ट/अप्रार्थी ने दिनांक 22.07.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपीलान्ट/अप्रार्थी को उसके अधिवक्ता ने उक्त निर्णय की जानकारी नहीं दी। प्रार्थी इस मुगालते में रहा की प्रकरण अभी विचाराधीन है, प्रार्थी ने दिनांक 02.07. 2020 को निर्णय की नकल प्राप्त करने से उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई है, अतः अपीलान्ट के निवेदन व अपील में मियाद के बिन्दु को नहीं देख कर प्रकरण के विषय को देखा जाना आवश्यक है। अतः अपीलान्ट की अपील को नकल लेने की अवधि से एक माह की अवधि में अपील दर्ज किया जाना अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

{6} बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील में अंकित तथ्यों एव आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य सबुत हेतु मौखिक रूप से अवसर चाहा गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज करते हुए ''गैरसायल द्वारा मौखिक रूप से अतिक्रमण होना स्वीकार किया गया'' लिखते हुए आलौच्य आदेश उसी दिवस पारित कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नही हुई तथा हल्का पटवारी बेरी खुर्द द्वारा मौके पर मोमी नक्शा अनुसार नाप न किया जाकर केवल मात्र खानापूर्ति करने के उद्देश्य से मौका रिपोर्ट नाप तैयार करके धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अपीलांट के विरूद्ध की है। अतः अपील स्वीकार की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

{7} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का बेरी खुर्द की रिपोर्ट जिसके अनुसार ग्राम जतनपुरा के खसरा नंबर 126 कुल रकबा 42.18 बीधा भूमि किस्म गै0मु0गौचर में से रकबा 0.10 बीधा भूमि अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0गौचर पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार गौचर भूमि पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। गौचर भूमि पशुओं के चरने के लिए ही अलग से ग्राम में रखी जाती है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है। यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का बेरी खुर्द द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 06.09.2019, जिसकी जांच भू–अभिलेख निरीक्षक नुवां द्वारा की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ग्राम जतनपुरा के खसरा नंबर 126 कुल रकबा 42.18 बीघा किस्म गै0मु0गौचर में से रकबा 0.10 बीघा भूमि पर बाड. लगाकर व टिन शेड बनाकर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो हटाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही हाने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2019 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 24.08.2021को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)